

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

पात्रता

- 1** 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो,
- 2** एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्रोत नहीं हो, अथवा
- 3** प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो।

(M) विशेष: बी.पी.एल./अंत्योदय/ आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।

🎬 नोट: यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

▼ देय पेंशन

- A** 75 वर्ष से कम आयु होने पर 750 रूपये,
- B** 75 वर्ष एवं अधिक आयु होने पर 1000 रूपये प्रतिमाह ।

📄 आवश्यक दस्तावेज 📄

- 1** जनआधार कार्ड संख्या एवं आधारकार्ड संख्या।

जनआधार कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1.आधारकार्ड | 2.जन्मप्रमाण पत्र | 3.राशनकार्ड |
| 4.मूल निवास प्रमाण पत्र | 5.बैंक खाता विवरण | 6.आवेदक- पासपोर्ट साईज फोटो |
| 7. आय घोषणा पत्र | | |

📣 आवेदन का तरीका 📣

📄 आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात rajssp पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है ।